# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, आई0ए0एस0
प्रकरण संख्या –23 / 2024 (प्रा0पत्र)
जीसीएमएस नं0 2024 / 113

चौईस फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक पता Choice House Shakambhari, part \, J B Nagar Andheri East, Mumbai-400099 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नरेन्द्र सिंह

अभियोगी

*बनाम*

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक
2. दिनेश भील पुत्र श्री चम्पालाल भील पता वार्ड नं0 16, ग्राम रातागिरी, पोस्ट सहरावद, तहसील रतलाम मध्य प्रदेश 457441

प्रतिपक्षी .

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451,457 दं.प्र.सं. वास्ते अभिरक्षा वाहन ट्रक EICHER 1114, REGISTRATION NO. MH-18-AA-9733, ENGINE NO. & CHASSIS NO. MC 2G1HRCOFJ108341 अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 पुलिस थाना आर.के. पुरम कोटा प्रथम सूचना रिपोर्ट 341 / 23

उपस्थितः–
सहा0 लोक अभियोजक –पेरोकार सरकार

## निर्णय

दिनांक– 28.04.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र चौईस फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक पता Choice House Shakambhari, part, J B Nagar Andheri East, Mumbai- 400099 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नरेन्द्र सिंह द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 341 / 23 पुलिस थाना आर के पुरम कोटा द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8, 9 राजस्थान गोवंशी पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) के वाहन संख्या EICHER 1114, REGISTRATION NO. MH-18-AA-9733, ENGINE NO. & CHASSIS NO. MC 2G1HRCOFJ108341 जब्त किया गया है जो इस समय थाना आर के पुरम जिला कोटा में उक्त वाहन को जब्त किया गया है एवं वर्तमान में उक्त वाहन आरटीओ कोटा के अभिरक्षा में है । दिनांक 11.7.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 दिनेश भील को वाहन की वित्तीय सुविधा प्रार्थी कम्पनी द्वारा दी गई थी शर्तो के साथ दी गई गई थी, दिनेश भील ने वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं वाहन पर लोन सुविधा का उपयोग करते समय अधिक समय तक अनुबंध की शर्तो की पालना नहीं की एवं अनुबंधानुसार अदायगी में चूक की गई । दिनेश भील की अनुबंध की शर्तो के अनुसार वाहन के उपयोग उपभोग करने सम्बन्धी सभी अधिकार समाप्त हो गये व दिनेश भील वाहन को लौटाने को उत्तरदायी हो गया । प्रार्थी कम्पनी के समस्त सम्भव उपायों का कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा समस्त प्रयास बलहीन रहे, क्योंकि दिनेश भील अनुबंध के अन्तर्गत देय अदायगी में विफल रहा । दिनेश भील के जिम्मे दिनांक 23.5.24 तक 120450 / – की फोर क्लोजर राशि बकाया है जिसे प्रार्थी कम्पनी दिनेश भील से प्राप्त करने की अधिकारिणी है । इसी आधार पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त जब्तशुदा वाहन प्रार्थी कम्पनी की अभिरक्षा में दिये जाने का आदेश फरमावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अधीनस्थ पुलिस थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई । वकील प्रार्थी काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है, प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को रूक रूककर आवांजे लगवाई गई किन्तु प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए । वकील प्रार्थी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु उपस्थित सहायक लोक अभियोजक को सुना गया ।

3. पेरोकार सरकार सहा० लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि थाना आर० के० पुरम कोटा के दिनेश कुमार हैड कानि. 314 थाना आरकेपुरम कोटा शहर दिनांक 6.9.2023 को रात्रि कालीन डीओ ड्यूटी थाना आरकेपुरम पर थी, दिनेश कुमार हेड कानि0 मय चालक वेदप्रकाश कानि0 1003 मय जीप सरकारी आर जे 20 यूवी 0730 के रात्रिकालीन गस्त चेकिंग एवं इलाका गस्त करता हुआ रवागी विवेकानन्द नगर समय 4.00 ए एम पर पहुंचा जहां पर जर्ये टेलीफोन सूचना मिली कि हेंगिग ब्रिज टोल नाके पर एक एम.एच. 18 एए 9733 है जिसमें गौवंश भरा हुआ है को पब्लिक ने रूकवा रखा है उक्त सूचना पर रवाना होकर टोल नाके पर पहुंचा जहां उक्त सूचना का वाहन खडा हुआ मिला वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि उक्त गाडी में मौजूद व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये है ओर पकड में नहीं आये है उक्त गाडी आयशर को अन्दर घुसाकर देखा तो आयशर गाडी को दो पार्टेशन बना कर उसमें गोवंश को क्रुरतापूर्वक ठूंस ठूंस कर उपर नीचे पैर बांध कर पटक कर भर रखा था जर्ये मोबाईल अतिरिक्त मदद हेतु चेतक जाप्ता को मौके पर बुलाया गया हालात जर्ये मोबाईल थानाधिकारी एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम को निवेदन किये गये पीसीआर व उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार उक्त आयशर गाडी में भरे हुये गोवंश को नजरी निरीक्षण किया गया, सभी गोवंश जीवित अवस्था में थे जिसके पश्चात जाप्त की मदद से उक्त वाहन को चलवाकर कर व गोवंश को साथ लेकर नगर निगम गोशाला बन्धा पहुंचे जहां पर गौशाला मजदूर तथा पुलिस जाप्ते की मदद से आयशर वाहन से नीचे उतारा गया, सभी गोवंश जीवित अवस्था में है जिनको गिना गया तो कुल 37 गोवंश पाये गये जिनको नगर निगम गोशाला में सुपुर्द कर रशीद प्राप्त की गई, जाप्ते की मदद से उक्त आयशर वाहन को थाने पर लाकर सुरक्षार्थ खडा कर सुपुर्द निगरानी संतरी व एचएम मालखाना किया गया , इस प्रकार गोवंश को आयशर गाडी एम एच 18 एए 9733 में क्रूरतापूर्वक ठूंस ठूंस कर वर्वरतापूर्वक भरकर परिवहन करना पाये जाने पर मौके से फरार चालक के विरूद्व धारा 5,6,8,9 राज. गोवंश अधिनियम 1995 का अपराध घटित होने से प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया । दौराने अनुसंधान बयान फरियादी दिनेश कुमार हैड कानि. 314 वेद प्रकाश कानि. 1663 श्री रामकिशन हैड कानि. 396 तथा श्री रविन्द्र कुमार कानि. 1113 के लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किये तथा प्रकरण हाजा का घटनास्थल का फरियादी की निशादेही से नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किये तथा वाहन आयशर ट्रक **MH-18-AA-9733,** जरिये फर्द जप्ती के जप्त किया गया तथा वाहन मालिक को राजस्थान पुलिस के राजकोप एप पर जाकर वाहन स्वामी श्री दिनेश भील पुत्र श्री चम्पालाल जाति भील निवासी रत्नागिरि तहसील व जिला रतलाल म.प्र. मोबाइल नं0 9981644068 तलाश कर उक्त मोबाईल नं0 पर व्हाट्सएप द्वारा धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाकर नोटिस की प्रति शामिल पत्रावली की गई, वाहन स्वामी श्री दिनेश भील को धारा 91 सीआरपीसी के नोटिस के जवाब में कोई भी दस्तावेज उपस्थित थाना होकर उपलब्ध नहीं कराये है । वाहन स्वामी से अनुसंधान कर मालुमात करना है कि उक्त घटना वाहन को कौन व्यक्ति चला रहा था । वाहन स्वामी अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा है । मुलजिम वाद घटना से फरार है । उक्त घटना वाहन के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाना शेष है । अतः मुलजिम एवं वाहन स्वामी की तलाश पतारसी एवं अनुसंधान जारी है । वाहन के रिलीज आदेश न्यायहित को मध्य नजर रखते हुये खारिज फरमाने की कृपा करें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस एवं थानाधिकारी आर के पुरम कोटा शहर की टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया । थानाधिकारी आर के पुरम कोटा शहर द्वारा गोवंश से भरे वाहन आयशर ट्रक **MH-18-AA-9733,** गोवंश से भरा होने से वजह सबूत जप्त किया था थाने से केस डायरी अप्राप्त है, किन्तु प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 31.03.2025 अनुसार वाहन स्वामी से अनुसंधान कर वाहन चालक के सम्बन्ध में अनुसंधान शेष होना जाहिर आया है । वाहन स्वामी घटना के बाद से फरार होना जाहिर आया है । इस प्रकार प्रकरण में अनुसंधान बकाया है ।

अतः प्रकरण में अनुसंधान शेष होने एवं वाहन स्वामी फरार होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण में बिना परमीट के बेरहमी से कूरतापूर्वक गौवंश को गोतस्करी के प्रयोजन से परिवहन करना अपराध धारा 3,5,6,8 गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 एवं धारा 11 पशु कूरता (निवारण) अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया । ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा वाहन सुपुर्दगी की प्रार्थना प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है । अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते वाहन सुपुर्दगी का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

5. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा